न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—34/21 (2021/119) वाद पत्र

अनवान

1—केसरीमल पिता जोधा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1—अम्बालाल पिता खेमा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—चान्दी पुत्री खेमा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—जगदीश पिता खेमा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—देउ पुत्री खेमा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—सुवालाल पिता खेमा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—अम्बालाल पिता बख्तावर कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—कृष्णगोपाल पिता सोहन कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—खेमा पिता बख्तावर कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—चुन्नीदेवी पत्नि जोधा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—बाली पुत्री जोधा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—हीरा पिता हरू कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद —

वादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः—06/07/2020

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सुरास पटवार मण्डल बागोलिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खातेदार खेमा, गोकल पिता भैरा कुमावत निवासी सुरास के खातेदारी अधिकार की साबिक आराजी संख्या 305 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि, एवं साबिक आराजी संख्या 134 रकबा 11 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण मे नकल जमाबन्दी साबिक संवत 2017 से 2022 तक प्रस्तुत की है। उक्त दोनो साबिक आराजियात में से साबिक आराजी संख्या 305 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि का विक्रय पत्र तत्कालीन खातेदार खेमा, गोकल पिता भैरा ने बख्तावर, हरू पिता प्रताप कुमावत को विक्रय पत्र के जरिये दिनांक 24.03.1962 को विक्रय की। विक्रय पत्र में पड़ौस पूर्व में रामा पिता गोकल कुमावत का खेत, पश्चिम में बाड़ी जाने का रास्ता, उत्तर में नदी का किनारा, दक्षिण में देवजी की डोली उक्त चारो पड़ौसो के मध्य मौके पर तत्कालीन खातेदारो ने क्रेतागण को कब्जा सिपूर्द किया। तब से ही खरीददार बख्तावर हरू काबिज थे तथा वर्तमान में उनके वारीसान वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी, प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 एक ही परिवार के वारीसान होकर मूल पुरूष प्रतापजी के सजरे में [illegible] द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज है। भू—प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजी संख्या 305 का नवीन नम्बर आराजी संख्या 433 रकबा 0.38 है0 कायम हुए। प्रमाण में मिलान क्षैत्रफल [illegible] प्रस्तुत है [illegible] बिक आराजी संख्या 305 का विक्रय पत्र निष्पादित करते समय क्रेता व विक्रेता ने [illegible] में दर्ज आराजी [illegible] को दर्शाते हुए विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया। तथा मौके पर कब्जा [illegible] सी अन्य आराजी का [illegible] मौके पर जिस जगह कब्जा सिपुर्द किया उसके पड़ौस विक्रय पत्र में अकिंत किये गये है उक्त पड़ौसो के मध्य अकिंत भूमि के नवीन नम्बर 335 रकबा 0.37 है0 है जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.13 16:50:34 IST
Reason: SelfAttested

नाम दर्ज रेकार्ड है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का मौके पर कब्जा नवीन आराजी संख्या 433 रकबा 0.38 है0 पर है जो वर्तमान में वादी व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 के नाम दर्ज रेकार्ड है इसी अनुसार मौके पर कब्जा है जिसे कब्जे अनुसार आराजी संख्या 335 रकबा 0.37 है0 भूमि वादी के नाम पर बतौर खातेदारी हक से दर्ज करवाया जाना नितान्त आवश्यक है एवं आराजी संख्या 433 रकबा 0.38 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि इन्द्राज दुरस्ती की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम जारी फरमाई जाकर राजस्व ग्राम सुरास पटवार मण्डल बागोलिया तहसील रायपुर की नवीन आराजी संख्या 335 रकबा 0.37 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज करवायी जावे तथा नवीन आराजी संख्या 433 रकबा 0.38 है0 भूमि प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के नाम दर्ज करवायी जावे साथ ही नवीन आराजी संख्या 335 रकबा 0.37 है0 भूमि तन्हा वादी के नाम दर्ज करते रखते हुए शेष प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 के नाम हटाया जाने की डिक्री जारी फरमाई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने अपने जवाब में अकंन किया कि वाद पत्र को स्वीकार करते हुए वर्तमान में वादी नवीन आराजी संख्या 335 रकबा 0.37 है0 भूमि पर काबिज है जो वर्तमाम में हम प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 के नाम दर्ज आराजी संख्या 433 रकबा 0.38 है0 भूमि पर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का कब्जा है दोनो आराजियात को मौके पर अपने अपने कब्जे अनुसार खातेदारी हक से दर्ज किया जाना न्यायोचित है शेष सभी कथन को स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 द्वारा अपने जवाब में अकंन किया कि वर्तमान में वादी नवीन आराजी संख्या 335 रकबा 0.37 है0 भूमि पर काबिज है जो वर्तमाम में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 के नाम दर्ज आराजी संख्या 433 रकबा 0.38 है0 भूमि पर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का कब्जा है दोनो आराजियात को मौके पर अपने अपने कब्जे अनुसार खातेदारी हक से दर्ज किया जाना न्यायोचित है एवं वादपत्र की कलम संख्या 5 में अकिंत नवीन आराजी संख्या 335 रकबा 0.37 है0 भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 11 के नाम संयुक्त व समान हिस्से से दर्ज किया जावे एवं आराजी संख्या 433 रकबा 0.38 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम काबिज होने से उनके नाम दर्ज की जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादी की ओर से साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दौराने सुनवाई न्यायालय में उपस्थित अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि वर्तमान जमाबंदी में अकिंत खातेदरान मे से मोहनलाल, केशरमल, लक्ष्मीदेवी माता सोहनीदेवी के द्वारा हक त्याग अम्बालाल, खेमा पिता बख्तावर व कृष्णगोपाल पिता सोहन कुमावत के हक में एवं रूकमण, शान्ति पुत्री सोहनलाल सायरी पत्नि सोहनलाल के द्वारा कृष्णगोपाल पिता सोहन कुमावत के पक्ष में हक त्याग करने से इन्हे पक्षकार नही बनाया गया व हक त्याग का रजिस्टर्ड दस्तावेज की प्रतियां पेश की जो शामिल पत्रावली है। वादपत्र प्रकार कर मौके एवं कब्जे अनुसार रेकार्ड दुरस्त करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं नवीन रेकार्ड तथा पंजीयन दस्तावेज, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का मनन करने से पाया कि मूल खातेदार खेमा, गोकल पिता भैरा के नाम साबिक अन्य आराजियात के साथ आराजी संख्या 235 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा एवं आराजी संख्या 305 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि जमाबंदी रोटेशन 2019 से 2022 में दर्ज रेकार्ड थी खातेदार द्वारा जो भूमि विक्रय की गई उसके पड़ौस दस्तावेज में अकिंत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.13 16:50:34 IST
Reason: SelfAttested

कराये गये है और दस्तावेज में अकिंत पड़ौसो के मध्य की भूमि पर वक्त कय से केता का कब्जा होना पक्षकारान के द्वारा स्वीकार किया गया साबिक आराजी संख्या 305 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के नवीन भू प्रबन्ध के दौरान आराजी संख्या 433 रकबा 0.38 है0 एवं साबिक आराजी संख्या 235 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा के नवीन आराजी संख्या 335 रकबा 0.37 है0 बने मौके पर पक्षकारान के अनुसार दस्तावेज में अकिंत पड़ौसो के मध्य की भूमि के साबिक आराजी संख्या 305 के बजाय 235 के पड़ौस मिलते है और मौके पर उसी अनुसार केता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 11 काबिज है। विकेता खातेदार के द्वारा जो भूमि विक्रय की गई उसके नम्बर की पहचान सही नही होने से आराजी संख्या 235 के बजाय आराजी संख्या 305 मानकर विक्रय पत्र निष्पादन करवा दिया गया मौके पर कब्जे को लेकर किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नही है। जहां पर केता पक्ष काबिज है दस्तावेज में अकिंत पड़ौस अनुसार ही होकर साबिक आराजी संख्या 235 से नवीन आराजी 335 दर्ज हुई उसी पर काबिज है ऐसी स्थिति में दोनो पक्षो के मध्य मौके को लेकर कोई विवाद नही है और जिस प्रकार मौके पर काबिज है उसी अनुसार आपसी सहमति से भूमि अपने अपने नाम दर्ज करना चाहते है। वर्तमान जमाबंदी में अकिंत खातेदरान मे से मोहनलाल, केशरमल, लक्ष्मीदेवी माता सोहनीदेवी के द्वारा हक त्याग अम्बालाल, खेमा पिता बख्तावर व कृष्णगोपाल पिता सोहन कुमावत के हक में एवं रूकमण, शान्ति पुत्री सोहनलाल सायरी पत्नि सोहनलाल के द्वारा कृष्णगोपाल पिता सोहन कुमावत के पक्ष में हक त्याग करने से इन्हे पक्षकार नही बनाया गया व हक त्याग का रजिस्टर्ड दस्तावेज की प्रतियां पेश की जो शामिल पत्रावली है। साबिक आराजी संख्या 235 के नवीन आराजी संख्या 335 रकबा 0.37 है0 भूमि पर केता की ओर से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 काबिज है जिसके आधार पर उक्त आराजी दस्तावेज के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 11 के नाम तथा साबिक आराजी संख्या 305 के नवीन आराजी संख्या 433 रकबा 0.38 है0 भूमि जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 काबिज होने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 11 के द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुरास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी संख्या 335 रकबा 0.37 है0, भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 (अम्बालाल, जगदीश, सुवालाल पिता खेमा देउ, चान्दी पुत्री खेमा कुमावत) के बजाय वादी केसरीमल पिता जोधा कुमावत व प्रतिवादी संख्या 11 हीरा पिता हरू कुमावत निवासी सुरास को खातेदार काश्तकार एवं आराजी सख्या 433 रकबा 0.38 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 (अम्बालाल, खेमा पिता बख्तावर कृष्णगोपाल पुत्र सोहनलाल, केसरीमल पुत्र जोधा, चुन्नीदेवी पत्नि जोधा, बाली पुत्री जोधा, हीरा पुत्र हरू) के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 अम्बालाल, जगदीश, सुवालाल पिता खेमा देउ, चान्दी पुत्री खेमा कुमावत निवासी सुरास को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.13 16:50:34 IST
Reason: SelfAttested

06.07.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–34/21 (2021/119) वाद पत्र

अनवान

1–केसरीमल पिता जोधा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1–अम्बालाल पिता खेमा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–चान्दी पुत्री खेमा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–जगदीश पिता खेमा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–देउ पुत्री खेमा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–सुवालाल पिता खेमा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6–अम्बालाल पिता बख्तावर कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7–कृष्णगोपाल पिता सोहन कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8–खेमा पिता बख्तावर कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9–चुन्नीदेवी पत्नि जोधा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10–बाली पुत्री जोधा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11–हीरा पिता हरू कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12–राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 11 के द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुरास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी संख्या 335 रकबा 0.37 है0, भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 (अम्बालाल, जगदीश, सुवालाल पिता खेमा देउ, चान्दी पुत्री खेमा कुमावत) के बजाय वादी केसरीमल पिता जोधा कुमावत व प्रतिवादी संख्या 11 हीरा पिता हरू कुमावत निवासी सुरास को खातेदार काश्तकार एवं आराजी सख्या 433 रकबा 0.38 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 (अम्बालाल, खेमा पिता बख्तावर कृष्णगोपाल पुत्र सोहनलाल, केसरीमल पुत्र जोधा, चुन्नीदेवी पत्नि जोधा, बाली पुत्री जोधा, हीरा पुत्र हरू) के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 अम्बालाल, जगदीश, सुवालाल पिता खेमा देउ, चान्दी पुत्री खेमा कुमावत निवासी सुरास को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजा जावे। वाद में डिक्री आज दिनांक 06.07.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.13 15:50:34 IST
Reason: SelfAttested

06.07.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा